कार्यालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री देवी सिंह (आर.ए.एस.)
मूल वाद सं0 –94/22

रामबाबू बनाम अनीसा

सी.पी.सी. आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी. पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थिति :–

1. विद्वान वादी अधिवक्ता :– श्री अमित उपाध्याय
2. विद्वान प्रतिवादीगण अधिवक्ता :– श्री ऐ.के. जैन

निर्णय

मूल वाद सं. 94/22 दिनांक :– 24-8-2023

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री ऐ.के. जैन ने दिनांक 28.11.2022 को न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि यह वाद स्वीकृत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत नाहिला के विरूद्व एवं तहसीलदार राजाखेडा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत सरपंच को बाद दायरी से पूर्व अन्तर्गत धारा 109 राजस्थान पंचायती राज एक्ट0 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत को नाटिस दिया जाना Mandatory प्रावधान है, एवं प्रतिवादी संख्या 4 pub. Servant है। उसे भी एस–80 सी0पी0सी0 का नोटिस वाद दायरी से पूर्व नहीं दिया गया और न छूट प्राप्त की गई। कानूनी स्थिति में सूट वादी पोषणीय नहीं है। काविल रिजेक्ट है एवं Barred by low है। दावा वादी Barred By Law होने के कारण काविल दावा वादी रिजेक्ट किया जावे।

प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जबाब वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.02.2023 को पेश कर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में मद क्रमांक 1 प्रा.पत्र जिस प्रकार अंकित है, सर्वथा गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी/वादी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत नाहिला को व्यक्तिगत हैसियत से व तहसीलदार राजाखेडा को वहैसियत लैण्ड होल्डर के नाते पक्षकार प्रकरण बनाया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व वादी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। मद क्रमांक 2 प्रा.पत्र प्रतिवादी जिस प्रकार से अंकित किया गया हैं सर्वथा गलत है। स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रार्थी/वादी से चुनावी रंजिश रखता है। तथा उसके द्वारा अवैध रास्ता निर्माण पदीय हैसियत से न करते हुए राजथान पंचायती राज0 एक्ट0 में उल्लेखित विधि नियम व निर्देशों के विरूद्व किया जाकर निजी संविदा के तौर पर वादी के स्वामित्व व अधिपत्य की आराजी काश्त ख0नं0 1353 रकवा 0.0885 है0 एवं ख0नं0 1354 रकवा 0.3035 है0 बॉके ग्राम गढी करीलपुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जबरन व लठ्ठ बल पर रास्ता निर्माण की अवैध रूप से कब्जा काश्त में बाधा पहूँचाकर मौके की यथा–स्थिति बदलने पर उतारू एवं आमादा है। प्रतिवादी सख्यां 1 का उक्त कृत्य राजस्थान पंचायती राज्य एक्ट0 के अधीन परिभाषित नियम व विधि के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिए ग्राम पंचायत को नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। जब ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम के अधीन व नियमों व निर्देशों के तहत कोई कार्य या कार्यवाही की जाती है। तब धारा 109 राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम के प्रावधान लागू होगें। इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम के विरूद्व व विधिक प्रकिया अपनाये बिना मनमाने व राठोडी रूप से गरीब बृद्व बीमार वादी के खेत में जबरन रास्ता निर्माण की कोशिस की जा रही है जिसका 1 व 2 को करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 को लैण्ड होल्डर की हैसियत से पक्षकार प्रकरण बनाया गया है। इसलिए उसे नोटिस देने की या उसके विरूद्व छूट प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मद संख्या 3 प्रा. पत्र प्रतिवादी संख्या 1 सर्वथा गलत है। स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा

नहीं है। दावा वादी किसी विधि द्वारा वाधित नहीं है। पोषणीय है और डिक्री किये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी सव्यय खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 10.08.2023 को वकील उभयपक्षकारान की सी.पी.सी. आदेश 7 रूल 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ल0 4 श्री ऐ.के. जैन ने दौराने बहस कथन किया कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल दावा एवं अभिकथन देखे जाते है वाद–पत्र में वादी प्रतिवादी है उसे बनाता है जिसके खिलाफ रिलीफ चाहिए इनके वाद–पत्र में देखा जावें रामबाबू ने दावा पेश किया और प्रतिवादी संख्या 1 अनीषा है जो सरपंच ग्राम पंचायत नाहिला है। जिसे सरपंच की पदीय हैसियत से पक्षकार प्रकरण बनाया गया है। यह स्वीकार तथ्य है कि उन्हें दावे में पदीय पक्षकर प्रकरण बनाया है वादी के वाद–पत्र की मद संख्या 3 का अवलोकन करें जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व भी अनुतोष मॉगा गया है। और स्थायी निषेधाज्ञा से अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व ऑर्डर 7 रूल 11 के बिन्दु संख्या 2 में ग्राम पंचायत सरपंच को वाद दायरी से पूर्व पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 में नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जो नहीं दिया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 1 लोक सेवक है। उसे पक्षकार प्रकरण बनाया गया है। उसके विरूद्व कोई छूट नहीं मांगी है। प्रतिवादी संख्या 4 जो कि एक लोक सेवक है जिसे पक्षकार प्रकरण बनाया जाने से पूर्व 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जो नहीं दिया गया है। और न ही उनके विरूद्व इस बावत् कोई छूट मांगी है। अन्तर्गत धारा 109 के तहत ये दावा वार्ड वाई लॉ है। ऑर्डर 7 रूल 11 डी के अन्तर्गत दावा खारिज किया जावें। राजस्थान हाई कोर्ट का लैण्ड मार्क डिसीजन मनमोहन बनाम ग्राम पंचायत जसनगर डी0एन0जे0 2014 पेज 1278, जिसमें सैक्सन 109 की पालना Mandatory है। मेवाराम बनाम स्टैट ऑफ राजस्थान डी0एन0जे0 98 पेज 221 के अनुसार कोर्ट भी इसमें छूट की अनुमति नहीं दे सकते है। लाडूराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान डी0वी0 सिविल रिट पीटिसन नम्बर 13537/12 इसमें हाईकोर्ट ने इस सैक्सन को आरवेटरी अवैध नहीं माना है। धारा 109 की कार्यवाही करना सही माना है। अतः दावा वादी खारिज योग्य है। मेरा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद –पत्र खारिज किया जावें। वकील वादी ने अपने जबाब प्रार्थना–पत्र में बिन्दु संख्या दो गलत अंकित किया है, दावा भौतिक कब्जे के अभाव में पोषणीय नहीं है। क्योंकि मौके पर पूर्व से सड़क डली हुई वादी का कब्जा नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री अमित कुमार उपाध्याय ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि मैंने जो दावा किया है वह व्यक्तिगत कैपिसिटी में किया है। यह स्वीकार तथ्य है कि विवादित ख0नं0 1353 व ख0नं0 1354 बॉके ग्राम गढी करीलपुर तहसील राजाखेडा का वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इसके लिए मैंने जमाबन्दी की प्रति पेश की है। इससे ये सावित है कि वादी का मौके पर स्वामित्व व अधिपत्य है। मैने दावे की चरण संख्या तीन में कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ताकत व पहुँच वाले व्यक्ति है जो मेरी खातेदारी जमीन पर जबरन ताकत के बल पर रास्ता निर्माण करने पर अमादा है। ऑर्डर 7 रूल 11 पर केवल वाद–पत्र देखा जावें। प्रतिवादी की कोई भी डिफैन्स इस स्टेज पर नहीं देखी जावेगी। एवं नहीं पढी जावेगी। मैंने चरण सख्या 8 में प्रतिवादी संख्या तीन की भूमि रहन होने के कारण और तहसीलदार को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार प्रकरण बनाया है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा है। मेरी प्रेयर देखे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी ख0नं0 1353 व 1354 बॉके ग्राम गढी करीलपुर के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें, तथा रास्ता निर्माण नहीं करें, और मौके की यथा–स्थिति बनाये रखें। आपने ऑर्डर 7 रूल 11 के प्रार्थना–पत्र की चरण सख्या 1 में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 विरूद्व दावा पेश करना बताया है। जबकि वादी ने सिर्फ प्रतिवादी संख्या 1 अनीषा व प्रतिवादी संख्या 2 कालीचरन के विरूद्व दावा प्रस्तुत किया है और अनुतोष चाहा है। पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 Mandatory है लेकिन कब जब ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायत राज एक्ट0 के अधीन बनाये गये नियम और शर्तों निर्देशों के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। तब धारा 109 लागू होनी चाहिए क्या ग्राम पंचायत द्वारा हमारे आराजी ख0नं0 1353 व 1354 मे रास्ता निकालने के लिए भूमि आवाप्ति की है। क्या कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। क्या कोई मुआवजा दिया है। व्यक्तिगत रंजिश को निकालने के लिए जबरन और लठ्ठ के बल पर पदीय हैसियत

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा

का दुरूपयोग करते हुये यह कार्य किया जा रहा है। धारा 109 ऐसी स्थिति में लागू नहीं होती है। मैंने श्रीमान एस0डी0एम0 न्यायालय का मुकदमा नम्बर 87/18 रामबाबू बनाम भूपेन्द्र का निर्णय दिनांक 05.03.2020 में श्रीमान द्वारा तत्कालीन सरपंच भूपेन्द्र, कुशमा देवी और धापा एवं राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार का पेश किया उसमें श्रीमान के द्वारा प्रतिवादीगण 1 लगयात 3 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है कि विवादित आराजी ख0नं0 1353 व 1354 को वादी के कब्जे काश्त मे कोई बाधा पैदा नहीं करें, और न ही नवीन रास्ते का निर्माण करें। तथा न ही अपने ऐजेन्ट से करायें पर्चा डिक्री जारी हो आपके द्वारा यह कहना कि 20–25 साल से रास्ता बना हुआ है जबकि 05.03.2020 को न्यायालय इस सम्बन्ध में डिक्री जारी कर चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने परेशान करने पर मैंने दावा पेश किया है। ऑर्डर 7 रूल 11 के प्रावधान इस केस पर चस्पा नहीं होते है। और आपका प्रार्थना–पत्र भारी से भारी कोस्ट लगाकर खारिज किया जावें।

रिवीटल में विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री ऐ.के.जैन ने कथन किया कि धारा 109 पढा और अपने पक्ष मे इस आधार पर दावा वादी खारिज करने की मांग की। खातेदार काश्तकार का कोई विवाद नहीं है। यहॉ धारा 109 पर मेरी बहस के 188 के दावे में तहसीलदार को पार्टी बनाने का आवश्यकता नहीं हैं। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में 05.03.2020 का निर्णय पेश किया है। जो दावे में पक्षकार थे। उनके विरूद्व उसमें सरपंच ग्राम पंचायत नाहिला पक्षकार नहीं था। और न ही सरपंच की हैसियत से वादा आया था। उस दावे का इस दावे कोई सम्बन्ध नहीं है। वकील वादी ने धारा 109 पर बहस नहीं की है। और न ही कोई केस लॉ दिया है। जो उक्त प्रकरण में लागू नहीं होगा।

हमने प्रतिवादी अधिवक्ता के जबाब ऑर्डर 7 रूल 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के प्रार्थना–पत्र वकील वादी के द्वारा उसके प्रस्तुत जबाब एवं दिनांक 10.08.2023 को उभयपक्ष के अधिवक्ता की समाहित बहस का अध्ययन मनन किया। वकील प्रतिवादी ने ऑर्डर 7 रूल 11 के उपबिन्दु (घ) जहॉ वाद के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है। वाद–पत्र नामंजूर किया जा सकता है। के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109 की पालना नहीं किये जाने पर वाद–पत्र को खारिज किये जाने की मांग की है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109 में निम्न प्रावधान है पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विरूद्व वाद आादि– (1) किसी पंचायती राज संस्था के विरूद्व या उसके किसी भी सदस्य अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्व या किसी पंचायती राज संस्था या उसके किसी भी सदस्य अधिकारी या कर्मचारी के निर्देश के अधीन कार्य कर रहें किसी भी व्यक्ति के विरूद्व उसकी पदीय हैसियत में इस अधिनियम के अधीन की गई या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य सिविल कार्यवाही

(क) तब तक अंस्थित नहीं की जायेगी। जब तक कि वाद हेतुक, आशयित वादी के नाम और निवास स्थान और उस अनुतोष की प्रकृति का जिसका वह दावा करता है, कथन करने वाला लिखित नोटिस उसके कार्यालय पर परिदत कर दिये या छोड दिये जाने के या यथा पूर्वोत्तर किसी सदस्य अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति कर दिये जाने के पश्चात दो मास समाप्त ना हो गये हो और वाद में ऐसे प्रत्येक मामले में यह कथन अंतविष्ट होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त कर दिया या छोड दिया गया है।

(ख) यदि वह स्थावर संपति की वसूली के लिए या उसके हक की किसी घोषणा के लिए कोई वाद ना हो तो अभिकथित वाद हेतुक के प्रोदभूत होने के पश्चात के 6 माह के भीतर के अन्यथा संस्थित नहीं की जायेगी।

(2) उपधारा (1) मे निर्देष्टि नोटिस जब वह किसी पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के लिए आशयित हो तो कमशः सरपंच, विकास अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सम्बोधित होगा।

पंचायती राज संस्थाओं को विधिक व्यक्ति (Juristiz person) माना गया है। इसका प्रभाव यह कि उसके द्वारा एवं उनके विरूद्व न्यायालयों में कोई भी वाद लाया जा सकता है या सिविल कार्यवाही संस्थित की जा सकती है। इस धारा की प्रयोज्यता की महत्वपूर्ण शर्त है पदीय हैसियत में कार्य किया जाना। यदि कोई कार्य पदीय हैसियत में नहीं किया जाकर निजी संविदा के तौर पर किया

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़

जाता है। जो उस पर इस धारा के प्रावधान लागू नहीं होगें। अन्यथा परिस्थितियों में ऐसा नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं कहा जा सकता है। धारा 109 के प्रावधान 80 सी0पी0सी0 के सदृश्य है जिसे अवैध या मनमाना नहीं कहा जा सकता है। तथा वह न्यायिक पुनविलोकन की मांग के अधिकार पर अतिक्रामी नहीं है।

वादी के वाद में ऐसे प्रत्येक मामले में ऐसा कथन अंतविष्ट होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त कर दिया या छोड दिया गया है। यदि वह स्थावर सम्पति की वसूली के लिए या उसके हक की घोषणा के लिए वाद ना हो तो अभिकथित वाद हेतुक के प्रोदभूत होने के पश्चात के 6 माह के भीतर से अन्यथा संस्थित नहीं की जायेगी।

इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात पंचायत के विरूद्व वाद संस्थित करने से पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। नोटिस का दिया जाना धारा 109 के अधीन आज्ञापक घोषित किया गया है। पंचायत अधिनियम में छूट देने का प्रावधान उपबधित नहीं किया गया है। न्यायालय भी अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। जो वाद पंचायत अधिनियम की धारा 109 की अनुपालना किये बिना संस्थित किये जो चुके है। वह आदेश 7 नियम 11 के खण्ड घ के अधीन नामंजूर किये जायेगें। मेवाराम बनाम राज डी0एन0जे0 1998 पेज 221।

वादी के वाद–पत्र की अवलोकन किया गया। वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा की धारा 188 आर0टी0एक्ट0 का दावा पेश किया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 अनीषा सरपंच ग्राम पंचायत नाहिला को पक्षकार प्रकरण बनाया है। मद अनुतोष में भी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का रिलीफ चाहा है। लेकिन वाद पत्र में पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 का नोटिस प्रतिवादी संख्या 1 को दिया जाना नहीं पाया गया। जो कि आज्ञापक था। वादी का वाद–पत्र विधि विरूद्व होने के कारण ऑर्डर 7 रूल 11 नियम घ के तहत नामंजूर किया जाता है। वकील प्रतिवादी का प्रार्थना–पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है।

निर्णय उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा